राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 200/2012

सी.एस. चौहान —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव (वित्त), वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.03.2012
आदेश की दिनांक : 09.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विनोद गोयल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमंत धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति राजस्थान लेखा सेवा में नियमित चयन/भर्ती के माध्यम से 06.06.1984 को लेखा अधिकारी के पद पर हुई थी। तत्पश्चात अपीलार्थी को जनवरी 1992 में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी नियमों के अनुसार वर्ष 1997–98 की रिक्ति के विरूद्ध वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के 5 साल बाद मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर योग्यता कोटे के आधार पर पदोन्नति का हकदार हो गया। अपीलार्थी का सेवा रिकॉर्ड उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के बाद से उत्कृष्ट रहा है, जिससे वह योग्यता कोटे के आधार पर आगे की पदोन्नति के लिए उचित विचार के लिए पात्र था लेकिन उनके मामले पर रिक्ति वर्ष 2000–2001 के विरूद्ध उचित रूप से विचार नहीं किया गया, जिसके लिए वह हकदार थे। अपीलार्थी दिनांक 30.04.2010 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। जहां तक मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति का सवाल है, तो अपीलार्थी ने आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी के साथ–साथ कई रिकॉर्ड भी मांगे थे और रिकॉर्ड के अवलोकन से यह पता चलता है कि अपीलार्थी पूरी तरह से पात्र था और वर्ष 2000–2001 की रिक्ति के विरुद्ध मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति पाने का हकदार है। वर्ष 1999–2000 के लिए राजस्थान लेखा सेवा में चयन वेतनमान पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 27.09.2000 द्वारा बुलाई गई थी। वर्ष 1999–2000 के लिए रिक्तियों की कुल संख्या 9 थी, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए कुल पद 5 थे। सामान्य वर्ग के 5 पदों के मुकाबले, 4 पद वरिष्ठ सह–योग्यता के आधार पर भरे गए थे और एक पद योग्यता के आधार पर भरा गया था। मेरिट कोटा में एक पद श्री मोदी लाल टेलर के लिए रिक्त रखा गया था,

फिर श्री अरविंद सिंह शेखावत को मेरिट कोटा में पदोन्नति दी गई। एसटी वर्ग के उम्मीदवार श्री कालू राम मीना को वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी गई। 5 पदों के विरुद्ध, कम से कम 2 पद योग्यता के आधार पर भरे जाने चाहिए थे, लेकिन योग्यता के आधार पर केवल एक पद भरा गया (अनुलग्नक–1)। आदेश दिनांक 19.10.2000 में श्री मोदी लाल टेलर का नाम नहीं है, जिनका पद डीपीसी द्वारा मेरिट कोटा हेतु रिक्त रखा गया था। इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्ष 1999–2000 में योग्यता आधार पर दो पद भरे जाने थे, जिनमें से एक भरा गया और एक रिक्त रखा गया। वर्ष 2000–2001 हेतु चयनित वेतनमान पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 27.09.2000 को पुनः डीपीसी बुलाई गई। वर्ष 2000–2001 के लिए कुल रिक्तियां 11 थीं जिनमें 6 पद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए थे। 11 रिक्तियों में से 5 पद योग्यता के आधार पर भरे जाने थे, लेकिन बिना कोई कारण बताए केवल 3 पद ही योग्यता के आधार पर भरे गए। श्रीमती गीता सोंखिया एवं श्री पी.एन. विजयवर्गीय को मेरिट कोटा में पदोन्नत किया गया तथा कमेटी ने मेरिट कोटा का एक पद श्री माधो सिंह चारण के लिए रिक्त रखा। एक एसटी वर्ग के अभ्यर्थी श्री हरि करण मीना को मेरिट कोटा में पदोन्नति दी गई। श्री बी.एल. कुमावत एवं श्री एस.एस. राजावत को वर्ष 2000–2001 के तहत मेरिट कोटा में पदोन्नत किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई (अनुलग्नक–2)। वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 की तुलना में 16 पदों में से 8 पद मेरिट कोटे से भरे जाने चाहिए थे लेकिन केवल 4 पद ही मेरिट कोटा से भरे गए। अपीलार्थी का तर्क यह है कि यदि 8 पद योग्यता कोटा में भरे गए होते तो अपीलार्थी को 2000–2001 के विरूद्ध निश्चित रूप से पदोन्नत किया गया होता, लेकिन विभागीय समिति ने पदोन्नति के मानदंडों और भरने की प्रक्रिया पर विचार नहीं किया है। अपीलार्थी वर्ष 2000–2001 में पदोन्नति पाने का हकदार था, लेकिन उसे वर्ष 2002–2003 में पदोन्नति दी गई। श्री बी.एल. कुमावत और श्री एस.एस. राजावत, जिन्हें वर्ष 2000–2001 के विरुद्ध पदोन्नति दी जानी चाहिए थी, उन्हें वर्ष 2001–2002 के विरुद्ध पदोन्नति दी गई (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी को सुपर–टाइम स्केल प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया है। अपीलार्थी को सुपर–टाइम वेतन श्रृंखला में पदोन्नत नहीं किया गया है, क्योंकि उसे चयन वेतन श्रृंखला में सही वर्ष नहीं दिया गया था, क्योंकि वह वर्ष 2000–2001 के विरूद्ध अकाउंट सर्विस के चयन वेतन श्रृंखला (मुख्य लेखा अधिकारी) में पदोन्नति पाने का हकदार था। अपीलार्थी ने वर्ष 2000–2001 के दौरान मुख्य लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति और उसके बाद सुपर–टाइम्स स्केल में पदोन्नति के लिए समीक्षा डीपीसी बुलाने के लिए कई अवसरों पर अभ्यावेदन किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ (अनुलग्नक–4)। दिनांक 23.09.2008 (अनुलग्नक–5) की वरिष्ठता सूची में श्री यशपाल सिंह कर्णावत भी अपीलार्थी से कनिष्ठ थे, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्र.सं. 49 पर है और श्री यशपाल सिंह कर्णावत का नाम क्र.सं. 62 पर है। लेकिन बाद में अपीलार्थी को कोई कारण बताए बिना श्री यशपाल सिंह कर्णावत

से कनिष्ठ दिखाया गया। सुपर–टाइम स्केल में पदोन्नति वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदनों के बिना नहीं की जा सकती है, संबंधित अधिकारियों को अपीलार्थी की आगे की पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए। डीओपी ने अपने पत्र में इस संबंध में प्रक्रियाएं भी निर्धारित की हैं। अपीलार्थी को बार–बार दिए गए आश्वासन के आधार पर वरिष्ठता सूची में उसे उचित स्तर पर रखने की गलती को सुधारना था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को वर्ष 1999–2000, 2000–2001 की रिक्ति के विरूद्ध मुख्य लेखा अधिकारी (चयन वेतनमान पद) के पद पर पदोन्नति के लिए रिव्यू डीपीसी बुलाने का निर्देश दिया जाए और अपीलार्थी को वर्ष 2000–2001 के लिए योग्यता कोटा में मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति देने और उसे मुख्य लेखा अधिकारी के कैडर में तदनुसार वरिष्ठता प्रदान करने का निर्देश दिया जावे एवं वर्ष 2009–10 के लिए लेखा सेवा के सुपर–टाइमर स्केल में पदोन्नत किया जावे, सेवानिवृत्ति लाभों को तदनुसार संशोधित किया जाए और उसके बकाया का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज के साथ किया जाए।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को मात्र 5 वर्ष का कार्य अनुभव होने से वह उच्चतर पद पर पदोन्नति की पात्रता धारित नहीं कर लेता है, वरन् पदोन्नति की पात्रता हेतु और भी मानदण्ड निर्धारित है, उन्हें भी पूरा करना होता है। यह आधारहीन है कि अपीलार्थी वर्ष 1997–98 के मैरिट कोटे की रिक्ति के विरूद्ध चयन का पात्र रहा है। वर्ष 1997–98 की चयन वेतन श्रृंखला में पदोन्नति हेतु बनाई गई वरिष्ठता सह पात्रता सूची में अपीलार्थी का नाम नहीं था क्योंकि वह पर्याप्त वरिष्ठता नहीं रखता था (अनुलग्नक आर/1)। अपीलार्थी का नाम वर्ष 2000–01 की चयन वेतन श्रृंखला में पदोन्नति की वरिष्ठता सह पात्रता सूची में 21वें स्थान पर था (अनुलग्नक आर/2)। वर्ष 2000–01 में चयन वेतन श्रृंखला में पदोन्नति हेतु सामान्य वर्ग के 6 पद थे। इन 6 पदों में से 3 पद वरिष्ठता सह योग्यता एवं 3 पद योग्यता के आधार पर भरे जाने थे। यह पद उसी क्रम में भरे गये एवं 1 पद योग्यता के आधार पर श्री माधोसिंह चारण का सेवाभिलेख पूर्ण नहीं होने के कारण रिक्त रखा गया। डी.पी.सी. 27.09.2000 के कार्यवाही विवरण की प्रति अनुलग्नक आर/3 पर उपलब्ध है। वर्ष 1999–2000 में चयन वेतन श्रृंखला में एक पद को ही योग्यता के आधार पर भरा गया। वर्ष 1999–2000 में चयन वेतन श्रृंखला में सामान्य वर्ग के 5 पदों पर पदोन्नति दी जानी थी, जिनमें 3 पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर एवं 2 पद योग्यता के आधार पर मरे जाने थे तथा जो उसी क्रम में भरे गये। तद्नुसार वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर श्री डी. एन. पुरोहित, श्री के.के. गेडियोक व श्री नरेन्द्र धुन्ना चयनित हुए और योग्यता के आधार पर श्री अरविन्द सिंह शेखावत का चयन हुआ। एक पद जो सेवाभिलेख अपूर्ण होने के कारण रिक्त रखा गया, उस पर रिव्यु डी.पी.सी. में श्री मोदीलाल टेलर का चयन हो गया। इस प्रकार योग्यता

के आधार पर पदोन्नति हेतु रिक्त दोनों पद भरे गये। डी.पी.सी. कार्यवाही विवरण दिनांक 27.09.2000 की प्रति अनुलग्नक आर/4 पर उपलब्ध है। जहां तक वर्ष 1999–2000 तथा 2000–2001 तथा 2000–01 के पदोन्नति हेतु कुल 16 पदों में से यदि 8 पदों को मैरिट कोटे से भरा जाता तो अपीलार्थी की पदोन्नति हो जाने का कथन है वर्ष 1999–2000 तथा 2000–01 में सामान्य अधिकारियों के लिए कुल 11 पद थे, इन सभी को भर लिया गया था, इस प्रकार कोई रिक्ति शेष नहीं रही है। श्री बी. एल. कुमावत एवं श्री एस.एस. राजावत की वर्ष 2000–01 की चयन वेतन श्रृंखला में पदोन्नति नियमानुसार नहीं होती है। उक्त वर्ष में चयन वेतन श्रृंखला में सामान्य वर्ग की सभी रिक्तियां भर ली गयी और श्री कुमावत व श्री राजावत के लिए कोई रिक्ति नहीं थी। उक्त वर्षों की पदोन्नति बैठकों में जिन पदों को रिक्त रखा गया। नियमानुसार तत्समय केवल ऐसे अधिकारियों के लिए ही पद रिक्त रखे गये जिनके सेवाभिलेख पूर्ण नहीं थे तथा जिन पर बाद में नियमानुसार विचार करके चयन कर लिया गया। अपीलार्थी की वर्ष 2002–03 चयन वेतन श्रृंखला में पदोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही उचित है, इससे पूर्ववर्ती वर्षों में नियमानुसार अपीलार्थी का चयन नहीं हुआ है। अपीलार्थी का कथन कि श्री प्रेमराज मूंदड़ा को वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 की वित्तीय सलाहकार की पदोन्नति हेतु बनायी गयी पात्रता सूची में दर्शाया हुआ है. इस सीमा तक स्वीकार है लेकिन श्री मूंदड़ा का चयन वेतन श्रृंखला में जांच विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति हेतु लिफाफा बन्द रखा हुआ है। अतः जांच का निर्णय होने के उपरान्त उनकी वरिष्ठता तद्नुसार निर्धारित कर दी जावेगी। अपीलार्थी का यह कथन कि श्री यशपाल सिंह कानावत उनसे कनिष्ठ अधिकारी है, लेकिन वरिष्ठता सूची में इन्हें अपीलार्थी से उपर दिखाया गया है जो यहां अभिलेख के आधार पर विवादित नहीं है। यहां उल्लेखनीय है कि वरिष्ठता सूची जारी किये जाने के समय अपीलार्थी अथवा अन्य से इस संबंध में कोई आपत्ति/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था जबकि वरिष्ठता को अन्तिम रूप देने से पूर्व आपत्तियां और सुझाव मांगे गये थे। अपीलार्थी को इस संबंध में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी सूचना में यह अवगत करा दिया गया था कि जब भी नई वरिष्ठता सूची जारी की जावेगी, संशोधन कर दिया जावेगा किन्तु इससे पूर्व वर्षों की पदोन्नतियां प्रभावित नहीं होगी। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने वर्ष 1999–2000 एवं 2000–2001 तथा आगे के वर्षों में राजस्थान लेखा सेवा में मुख्य लेखा अधिकारी (चयनित वेतनमान) के पद पर पदोन्नत करने हेतु रिव्यू डीपीसी आयोजित करने तथा अपीलार्थी को वर्ष 2000–2001 में योग्यता के आधार पर मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति करने एवं समस्त परिलाभ हेतु अनुतोष चाहा गया है। साथ ही अपीलार्थी ने सुपर–टाईम–स्केल में वर्ष

2009–10 की रिक्तियों के विरूद्ध समस्त परिलाभों सहित पदोन्नति प्रदान करने और सेवानिवृत्त परिलाभ को संशोधित किया जाकर एरियर पर 09 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर वर्ष 1999–2000 की डीपीसी की कार्यवाही के विवरण से स्पष्ट है कि इसमें अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि अपीलार्थी वांछित वरिष्ठता धारित नहीं करता है। वर्ष 2000–2001 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित डीपीसी में योग्यता के आधार पर दो लोक सेवकों को पदोन्नत किया जाकर एक पद श्री माधो सिंह चारण के लिए रिक्त रखा गया, क्योंकि श्री चारण का सम्पूर्ण सेवाभिलेख उपलब्ध नहीं था। वर्ष 2001–02 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित डीपीसी में भी अपीलार्थी को पदोन्नति नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलार्थी किस प्रकार से वर्ष 2001–02 की रिक्तियों के विरूद्ध मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर योग्यता के आधार पर पदोन्नत होने का पात्र है। अपीलार्थी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि वर्ष 2001–02 की रिक्तियों के विरूद्ध योग्यता के आधार पर उससे कनिष्ठ किसी अधिकारी को पदोन्नत किया गया हो एवं अपीलार्थी को वरिष्ठ होने के बावजूद पदोन्नति से वंचित रखा गया हो। अपीलार्थी द्वारा उसकी योग्यता के संबंध में वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं किए है एवं न ही अपीलार्थी द्वारा 01 अप्रैल 2001 के संबंध में जारी वरिष्ठता सूची पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसके अभाव में यह परीक्षण किया जाना पूर्णतः असंभव है कि क्या अपीलार्थी को वर्ष 2001–02 की रिक्तियों के विरूद्ध मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति की पात्रता धारित करने के बावजूद डीपीसी में उसके नाम पर विचार नहीं किया जाकर उससे कनिष्ठ को पदोन्नति प्रदान की गई है।

पत्रावली पर वर्ष 2002–03 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु आयोजित डीपीसी की बैठक में कार्य विवरण प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी को योग्यता के आधार पर मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति की अभिशंषा की गई है और इस संबंध में पदोन्नति आदेश दिनांक 14.06.2004 जारी किया गया है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1999–2000 और 2000–01 की डीपीसी की बैठक को पुनः रिव्यू किए जाने के संबंध में मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि वर्ष 1999–2000 में मुख्य लेखा अधिकारी के 05 पदों में से 04 पद वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर एवं 01 पद वरिष्ठता के आधार पर भरा गया है, जबकि दो पद योग्यता के आधार पर भरे जाने चाहिए थे। वर्ष 2000–2001 में कुल 11 पद रिक्त थे, जिसमें 05 पद योग्यता के आधार पर भरे जाने थे जो कि 03 पद ही योग्यता के आधार पर भरे गये। यदि 02 पद मेरिट के आधार पर भरते तो श्री बी.एल. कुमावत एवं श्री एस.एस. राजावत को पदोन्नत कर भरा जाना चाहिए था। दोनों वर्षों में कुल 16 पदों में से 08 पद योग्यता के आधार पर भरे जाने थे लेकिन मात्र 04 पद ही योग्यता के आधार पर भरे गये। यदि नियमानुसार 08 पद योग्यता से भरे जाते तो अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2000–01 की डीपीसी में हो जाने

का कथन प्रस्तुत अभ्यावेदन में किया गया है। इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार मात्र 05 वर्ष का अनुभव धारित करने से उच्चतर पद की पदोन्नति हेतु पात्र नहीं हो जाता है। पदोन्नति हेतु अन्य निर्धारित मापदंड पूरे करने होते है एवं वरिष्ठता में होना आवश्यक है वर्ष 1997–98 की चयन वेतन श्रृंखला में पदोन्नति हेतु बनाई गई वरिष्ठता कम पात्रता सूची में अपीलार्थी का नाम नहीं था क्योंकि वह पर्याप्त वरिष्ठता नहीं रखता था (अनुलग्नक–आर/1)। वर्ष 2001–02 की चयन वेतन श्रृंखला में पदोन्नति की वरिष्ठता सह पात्रता सूची में अपीलार्थी का नाम 21वें स्थान पर था (अनुलग्नक–आर/2)। वर्ष 2000–01 चयन वेतन श्रृंखला में पदोन्नति हेतु सामान्य वर्ग के 06 पद थे, जिनमें 03 पद वरिष्ठता सह योग्यता और 03 पद योग्यता के आधार पर भरे जाने थे। यह पद उसी क्रम में भरे गये एवं 01 पद योग्यता के आधार पर श्री माधो सिंह चारण का सेवाभिलेख पूर्ण नहीं होने के कारण रिक्त रखा गया (अनुलग्नक–आर/3)। वर्ष 1999–2000 में सामान्य वर्ग के 05 पदों के विरूद्ध पदोन्नति की जानी थी, जिसमें 03 पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर एवं 02 पद योग्यता के आधार पर भरे जाने थे, जो इसी क्रम में भरे गये। योग्यता के आधार पर 01 पद एम.एल. टेलर का सेवाभिलेख अपूर्ण होने के कारण रिक्त रखा गया, इसके पश्चात् रिव्यू डीपीसी में श्री एम.एल. टेलर का चयन हो गया। अतः अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि यदि मेरिट के आधार पर समस्त पद भर लिये जाते है, तो उसकी पदोन्नति हो जाती क्योंकि वर्ष 1999–2000 एवं 2000–01 के समस्त पदों को पदोन्नति से भरा जा चुका है। कोई भी रिक्त पद शेष नहीं रहा है। प्रत्यर्थी विभाग के अनुसार अपीलार्थी को वर्ष 2002–03 के रिक्त पदों के विरूद्ध चयन वेतन श्रृंखला में योग्यता के आधार पर अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान की गई है और उससे पूर्व अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी भी व्यक्ति को वरिष्ठता सह योग्यता अथवा योग्यता के आधार पर अपीलार्थी से पूर्व पदोन्नत नहीं किया गया है।

उपलब्ध समस्त तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी भी कार्मिक को वरिष्ठता सह योग्यता और योग्यता के आधार पर मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर अपीलार्थी से पहले पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है। डीपीसी द्वारा नियमानुसार रिक्त पदों के विरूद्ध पदोन्नति की अभिशंषा किया जाना पाया जाता है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उससे कनिष्ठ किस अधिकारी को उससे पहले पदोन्नति प्रदान की गई है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं है। लिहाजा अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य